अध्याय-V

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

अध्याय-V

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

यह अध्याय उत्तर प्रदेश के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एसपीएसई) द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 तथा संबद्ध निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नियमों के अंतर्गत अनिवार्य किए गए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के कार्यान्वयन की स्थिति प्रस्तुत करता है। लेखापरीक्षा में यह आकलन किया गया कि क्या पात्र एसपीएसई ने सीएसआर-सम्बन्धी प्रावधानों का अनुपालन किया।

प्रस्तावना

5.1 समावेशी विकास को भारत के विकास एजेंडे के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है, जो समाज के उन वर्गों को सम्मिलित करने की आवश्यकता पर बल देता है जो ऐतिहासिक रूप से मुख्यधारा की विकास प्रक्रिया से बाहर रहे हैं। इस राष्ट्रीय प्रयास के अनुरूप, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की अवधारणा सामाजिक, पर्यावरणीय तथा मानव विकास सम्बन्धी चिंताओं को संपूर्ण निगमित मूल्य श्रृंखला में समाहित करने के एक साधन के रूप में की गई थी। कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार ने 'निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर स्वैच्छिक दिशानिर्देश, 2009' निर्गत करके उत्तरदायी व्यावसायिक प्रथाओं को मुख्यधारा में लाने की दिशा में प्रथम कदम उठाया। इन दिशानिर्देशों को बाद में 'व्यवसाय के सामाजिक, पर्यावरणीय तथा आर्थिक उत्तरदायित्वों पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देश, 2011' के रूप में परिष्कृत एवं विस्तारित किया गया।

इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 तथा अनुसूची VII के अप्रैल 2014 में कार्यान्वयन के साथ, विनिर्दिष्ट मानदण्डों को पूरा करने वाली कंपनियों के लिए सीएसआर कार्यकलापों अनिवार्य हो गईं। कंपनी

अधिनियम, 2013[1], कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014[2] के साथ, सीएसआर कार्यकलापों के कार्यान्वयन को आदेशित एवं नियंत्रित करता है।

विधिक ढाँचा

5.2 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) यह प्रावधान करती है कि प्रत्येक कंपनी जिसका तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में नेट वर्थ ₹ 500 करोड़ या अधिक हो, अथवा टर्नओवर ₹ 1,000 करोड़ या अधिक हो, अथवा शुद्ध लाभ ₹ पाँच करोड़ या अधिक हो, वह एक सीएसआर समिति का गठन करेगी। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(3) यह प्रावधान करती है कि सीएसआर समिति: (क) एक सीएसआर नीति, विरचित और बोर्ड को अनुशंसित करेगी, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों में कंपनी द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों को उपदर्शित करेगी; (ख) सीएसआर कार्यकलापों पर उपगत होने वाले व्यय की धनराशि की अनुशंसा करेगी; तथा (ग) समय-समय पर कंपनी की सीएसआर नीति को अनुश्रवण करेगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) पात्र कंपनियों के लिए यह अनिवार्य करती है कि वे प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए औसत शुद्ध लाभों[3] का कम से कम दो प्रतिशत, या जहाँ कंपनी ने अपने निगमन के बाद से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि पूर्ण नहीं की है, ऐसे तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए औसत शुद्ध लाभों का कम से कम दो प्रतिशत, सीएसआर कार्यकलापों पर व्यय करे। यह आगे प्रावधान करती है कि कोई भी अव्ययित सीएसआर धनराशि, जब तक कि वह किसी चालू परियोजना से सम्बन्धित न हो, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छः माह की अवधि के अंदर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(6) यह प्रावधान करती है कि किसी चालू परियोजना पर अव्ययित रहने वाली कोई भी धनराशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीस दिन की अवधि के अंदर अव्ययित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (यूसीएसआर) खाते में अंतरित की जाएगी। ऐसी धनराशि तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के अंदर सीएसआर कार्यकलापों पर व्यय की जाएगी, और ऐसा करने में विफलता की स्थिति में इसे तीसरे वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि से तीस दिन की अवधि के अंदर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित किया जाएगा।

---

[1] समय-समय पर यथासंशोधित।

[2] समय-समय पर यथासंशोधित।

[3] शुद्ध लाभ की गणना हेतु कर-पूर्व लाभ (पीबीटी) का प्रयोग किया जाता है।

कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 का नियम 7(2) यह प्रावधान करता है कि सीएसआर कार्यकलापों से उत्पन्न कोई भी अधिशेष कंपनी के व्यावसायिक लाभ का भाग नहीं बनेगा तथा इसे उसी परियोजना में पुनः निवेश किया जाएगा, या यूसीएसआर खाते में अंतरित किया जाएगा और कंपनी की सीएसआर नीति तथा वार्षिक कार्य योजना के अनुसरण में व्यय किया जाएगा, या वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छः माह की अवधि के अंदर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित किया जाएगा।

एसपीएसई पर सीएसआर प्रावधानों की प्रयोज्यता

5.3 दिनांक 31 मार्च 2023 को, उत्तर प्रदेश में सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन 66 क्रियाशील एसपीएसई[4] थे, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों द्वारा शासित थे। इन 66 एसपीएसई में से, 19 एसपीएसई ने अपने नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के अंतर्गत निर्धारित मानदण्डों को पूरा किया, जैसा कि **परिशिष्ट 5.1** में वर्णित है। इन 19 एसपीएसई में से मात्र नौ एसपीएसई को सीएसआर कार्यकलापों पर व्यय करना अनिवार्य था, तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए औसत शुद्ध लाभों के आधार पर, उस वित्तीय वर्ष के संदर्भ में जिसमें एसपीएसई को सीएसआर कार्यकलापों पर व्यय करना था।

तदनुसार, इन नौ एसपीएसई को सम्बन्धित आगामी वित्तीय वर्ष[5] के दौरान सीएसआर कार्यकलापों पर ₹ 8.75 करोड़ व्यय करना था। तथापि, मात्र तीन एसपीएसई ने ₹ 4.44 करोड़[6] व्यय किए, तथा शेष छः एसपीएसई द्वारा ₹ 4.61 करोड़ अव्ययित रहे।

लेखापरीक्षा परिणाम

5.4 लेखापरीक्षा ने नौ एसपीएसई द्वारा सीएसआर कार्यकलापों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित प्रावधानों के अनुपालन की जाँच की, जिन्हें सीएसआर कार्यकलापों पर अनिवार्य रूप से व्यय करना आवश्यक था। लेखापरीक्षा परिणामों, विशेष रूप से सीएसआर समितियों के गठन, सीएसआर नीतियों का विरचन तथा अनुपालन, सीएसआर कार्यकलापों की योजना तथा निष्पादन, एवं एसपीएसई द्वारा अनुश्रवण तथा रिपोर्टिंग के सम्बन्ध में, पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

सीएसआर समिति का गठन

5.5 जैसा कि **प्रस्तर 5.2** में चर्चा की गई है, प्रत्येक कंपनी जो नेट वर्थ, टर्नओवर अथवा शुद्ध लाभ के निर्धारित मानदण्डों को पूरा करती है, उसे बोर्ड

---

[4] सांविधिक निगमों को छोड़कर।

[5] 2014-15 तथा 2021-22 के मध्य।

[6] न्यूनतम ₹ 4.14 करोड़ के व्यय की आवश्यकता के विरुद्ध।

की एक सीएसआर समिति का गठन करना आवश्यक है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) यह प्रावधान करती है कि किसी कंपनी की सीएसआर समिति में तीन या अधिक निदेशक होंगे, जिनमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होगा। यह आगे प्रावधान करती है कि जहाँ किसी कंपनी को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करना आवश्यक नहीं है, वहाँ उसकी सीएसआर समिति में दो या अधिक निदेशक होंगे। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(9) यह प्रावधान करती है कि जहाँ किसी कंपनी द्वारा सीएसआर कार्यकलापों पर व्यय की जाने वाली धनराशि ₹ 50 लाख से अधिक नहीं है, वहाँ सीएसआर समिति के गठन की आवश्यकता लागू नहीं होगी, तथा ऐसी समिति के कार्यों का निर्वहन ऐसी कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नौ एसपीएसई में से, छः एसपीएसई[7] को सीएसआर समिति का गठन करना आवश्यक था। सभी छः एसपीएसई ने सीएसआर समितियों का गठन किया था। तथापि, उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे वर्ष 2020-21 के दौरान अपनी सीएसआर समिति का गठन करना आवश्यक था, ने जून 2022 में जाकर ही ऐसा किया। इसके अतिरिक्त, शेष तीन एसपीएसई[8] ने भी सीएसआर समितियों का गठन किया, यद्यपि वे ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं थे।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि सभी नौ एसपीएसई की सीएसआर समितियों में न्यूनतम तीन निदेशक थे। तथापि, सात एसपीएसई[9] ने वर्ष 2022-23 के दौरान अपनी सीएसआर समितियों में एक स्वतंत्र निदेशक की आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4), कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति तथा योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पठित, के अंतर्गत अनिवार्य है।

सीएसआर नीति का विरचन

5.6 जैसा कि **प्रस्तर 5.2** में चर्चा की गई है, सीएसआर समिति को एक सीएसआर नीति विरचित करना तथा बोर्ड को अनुशंसित करना आवश्यक है, जिसमें कंपनी द्वारा किए जाने वाले कार्यकालप उपदर्शित हो।

---

[7] उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तथा उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

[8] उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, तथा यू.पी. प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

[9] एक एसपीएसई अर्थात् उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपनी सीएसआर समिति में एक स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया था (जो 21 मार्च 2023 तक रहे) तथा एक एसपीएसई अर्थात् जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करना आवश्यक नहीं था क्योंकि यह उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की सहायक कंपनी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नौ एसपीएसई में से एक एसपीएसई अर्थात् उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड ने 31 मार्च 2023 तक कोई सीएसआर नीति विरचित नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने उस वर्ष के दौरान सीएसआर नीति विरचित नहीं की थी जिसमें उसे सीएसआर व्यय करना अनिवार्य था, अर्थात् वर्ष 2020-21 में, जिससे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(3) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ। तथापि, इसने बाद में जून 2022 में सीएसआर नीति विरचित की।

वार्षिक कार्य योजना विरचित करना

5.7 कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014[10] का नियम 5(2) यह प्रावधान करता है कि सीएसआर समिति अपनी सीएसआर नीति के अनुसरण में एक वार्षिक कार्य योजना (एएपी) विरचित करेगी तथा बोर्ड को अनुशंसित करेगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे: (क) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों में किए जाने हेतु अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों की सूची; (ख) ऐसी परियोजनाओं या कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति; (ग) परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए निधियों के उपयोग तथा कार्यान्वयन समय-सारणियों की रूपरेखा; (घ) परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए अनुश्रवण एवं रिपोर्टिंग तंत्र; तथा (ङ) कंपनी द्वारा की जा रही परियोजनाओं के लिए आवश्यकता एवं प्रभाव मूल्यांकन, यदि कोई हो, का विवरण।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नौ एसपीएसई में से, चार एसपीएसई[11] को उपर्युक्त नियम के अनुपालन में वर्ष 2021-22 तथा उसके पश्चात् के लिए एक एएपी तैयार करना आवश्यक था। तथापि, इनमें से किसी भी एसपीएसई ने आवश्यक एएपी तैयार नहीं की थी। एएपी के अभाव में, एसपीएसई परियोजनाएँ प्रारंभ करने से पूर्व निधि उपयोग की रूपरेखा तैयार करने तथा सीएसआर कार्यकलापों के लिए कार्यान्वयन समय-सारणियाँ स्थापित करने में असमर्थ थे। इसके स्थान पर, एसपीएसई द्वारा एकल सीएसआर परियोजना प्रस्तावों को प्रकरण-दर-प्रकरण आधार पर अनुमोदित किया गया।

सीएसआर कार्यकलापों पर व्यय

5.8 जैसा कि **प्रस्तर 5.2** में चर्चा की गई है, प्रत्येक कंपनी के बोर्ड को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान या जहाँ कंपनी ने अपने निगमन के बाद से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि पूर्ण नहीं की है, ऐसे तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान, कंपनी द्वारा अर्जित औसत शुद्ध लाभों का कम से कम दो प्रतिशत अपनी सीएसआर नीति के अनुसरण में व्यय करे।

---

[10] दिनांक 21.01.2021 के संशोधन द्वारा यथासंशोधित।

[11] उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड, तथा जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड।

सीएसआर कार्यकलापों पर व्यय की जाने वाली न्यूनतम आवश्यक धनराशि तथा सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के दौरान नौ एसपीएसई द्वारा वास्तव में व्यय की गई धनराशि का विवरण **तालिका 5.1** में दिया गया है।

तालिका 5.1: सीएसआर कार्यकलापों पर व्यय की जाने वाली न्यूनतम आवश्यक धनराशि तथा वास्तविक व्यय की गई धनराशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों का वर्ष	व्यय की जाने वाली न्यूनतम आवश्यक धनराशि	आवंटित धनराशि	वास्तव में व्यय की गई धनराशि	कम व्यय की गई धनराशि
1.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2021-22	1.36	1.36	1.38[12]	0.00
2.	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	1.65	1.66	1.66	0.00
3.	उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	0.29	0.00	0.00	0.29
4.	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2021-22	1.13	1.42	1.40	0.00
5.	उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	0.26	0.00	0.00	0.26
6.	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	2014-15	3.06	0.00	0.00	3.06
7.	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	2019-20	0.58	0.00	0.00	0.58
8.	यू.पी. प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2019-20	0.37	0.00	0.00	0.37
9.	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2021-22	0.05	0.00	0.00	0.05
योग			**8.75**	**4.44**	**4.44**	**4.61**

स्रोत: एसपीएसई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर संकलित

तालिका 5.1 से देखा जा सकता है कि नौ एसपीएसई में से, छः एसपीएसई ने सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर कार्यकलापों पर आवश्यक धनराशि ₹ 4.61 करोड़ के विरुद्ध न तो कोई धनराशि आवंटित की और न ही व्यय की। शेष तीन एसपीएसई ने सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के दौरान आवश्यक न्यूनतम धनराशि ₹ 4.14 करोड़ के विरुद्ध ₹ 4.44 करोड़ आवंटित तथा व्यय किए।

सीएसआर कार्यकलापों पर व्यय की गई धनराशि का विश्लेषण

5.9 जैसा कि **प्रस्तर 5.8** में चर्चा की गई है, तीन एसपीएसई[13] ने सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर कार्यकलापों पर ₹ 4.44 करोड़ का व्यय किया। उक्त धनराशि के विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्य सामने आए:

[12] वित्तीय वर्ष 2020-21 से सम्बन्धित ₹ 0.02 करोड़ सहित।

[13] उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, तथा उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

क्षेत्रवार सीएसआर व्यय

5.10 विभिन्न क्षेत्रों के तीन एसपीएसई द्वारा किए गए सीएसआर व्यय का विवरण **तालिका 5.2** में दिया गया है।

तालिका 5.2: क्षेत्रवार सीएसआर कार्यकलापों पर व्यय

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	सीएसआर कार्यकलापों पर व्यय करने वाले एसपीएसई की संख्या	व्यय की गई धनराशि (₹ करोड़ में)
1.	विद्युत	2	3.04
2.	स्वास्थ्य तथा कल्याण	1	1.40
योग		**3**	**4.44**

स्रोत: एसपीएसई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर संकलित

तालिका 5.2 से देखा जा सकता है कि ऊर्जा क्षेत्र के एसपीएसई ने सीएसआर कार्यकलापों पर सर्वाधिक व्यय किया, जो कुल सीएसआर व्यय का 68.47 प्रतिशत था।

सीएसआर व्यय हेतु केंद्रित क्षेत्र

5.11 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में सीएसआर कार्यकलापों हेतु 12 व्यापक क्षेत्र विनिर्दिष्ट किए गए हैं। एसपीएसई द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में व्यय की गई धनराशि का विवरण **तालिका 5.3** में दिया गया है।

तालिका 5.3: सीएसआर व्यय हेतु केंद्रित क्षेत्र

क्र. सं.	क्षेत्र	कार्यकलापों की संख्या	व्यय की गई धनराशि (₹ करोड़ में)	कुल व्यय की गई धनराशि का प्रतिशत
1.	शिक्षा	3	2.22	50.00
2.	ग्रामीण विकास	2	0.88	19.82
3.	स्वास्थ्य सेवा	2	0.34	7.66
4.	पर्यावरण	1	0.10	2.25
5.	खेलकूद	1	0.90	20.27
योग		**9**	**4.44**	**100.00**

स्रोत: एसपीएसई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर संकलित

जैसा कि **तालिका 5.3** से देखा जा सकता है, सीएसआर व्यय का सबसे बड़ा भाग (50 प्रतिशत) शैक्षिक गतिविधियों पर था, इसके बाद खेलकूद पर 20.27 प्रतिशत तथा ग्रामीण विकास पर 19.82 प्रतिशत व्यय किया गया।

सीएसआर कार्यकलापों से अधिशेष

5.12 जैसा कि **प्रस्तर 5.2** में चर्चा की गई है, सीएसआर कार्यकलापों से उत्पन्न कोई भी अधिशेष कंपनी के व्यावसायिक लाभ का भाग नहीं बनेगा तथा इसे उसी परियोजना में पुनः निवेश किया जाना आवश्यक है या यूसीएसआर खाते में अंतरित किया जाना है, तथा कंपनी की सीएसआर नीति एवं वार्षिक कार्य योजना के अनुसरण में व्यय किया जाना है, अथवा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छः माह की अवधि के अंदर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित किया जाना है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन एसपीएसई द्वारा की गई किसी भी परियोजना से सीएसआर कार्यकलापों से कोई अधिशेष उत्पन्न नहीं हुआ।

प्रशासनिक उपरिव्ययों पर व्यय

5.13 कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 का नियम 7(1) यह प्रावधान करता है कि बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि प्रशासनिक उपरिव्यय[14] वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के कुल सीएसआर व्यय के पाँच प्रतिशत से अधिक न हो।

लेखापरीक्षा ने पाया गया कि तीनों एसपीएसई में से किसी ने भी सीएसआर कार्यकलापों से सम्बन्धित प्रशासनिक उपरिव्यय पर कोई व्यय रिपोर्ट नहीं किया।

अनुश्रवण ढाँचा

5.14 कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 का नियम 5(2) यह प्रावधान करता है कि सीएसआर समिति कंपनी द्वारा की जाने वाली सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए एक अनुश्रवण तंत्र स्थापित करेगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 31 मार्च 2023 को सीएसआर नीति विरचित करने वाले सभी आठ एसपीएसई, जैसा कि **प्रस्तर 5.8** में चर्चा की गई है, ने अपनी सीएसआर नीतियों में एक अनुश्रवण तंत्र निर्धारित किया था। तथापि, किसी भी एसपीएसई ने सीएसआर कार्यकलापों के कार्यान्वयन के अनुश्रवण के लिए नियमित सीएसआर समिति बैठकें आयोजित करने हेतु कोई तंत्र स्थापित नहीं किया था।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि वर्ष 2022-23 के दौरान, पाँच एसपीएसई[15] ने मात्र एक-एक सीएसआर समिति बैठक आयोजित की, एक एसपीएसई[16] ने दो सीएसआर समिति बैठकें आयोजित कीं, तथा दो एसपीएसई[17] ने तीन-तीन सीएसआर समिति बैठकें आयोजित कीं। इसके अतिरिक्त, एक एसपीएसई अर्थात् जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने वर्ष 2022-23 के दौरान कोई सीएसआर समिति बैठक आयोजित नहीं की।

---

[14] किसी कंपनी के सीएसआर प्रभाग में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन तथा प्रशिक्षण, लेखन सामग्री की लागत, यात्रा व्यय, इत्यादि।

[15] उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, यू.पी. प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड, तथा उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

[16] उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

[17] उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड।

रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण

5.15 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(4), कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 9 के साथ पठित, यह प्रावधान करती है कि प्रत्येक कंपनी का बोर्ड, सीएसआर समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं पर विचार करने के पश्चात् कंपनी की सीएसआर नीति अनुमोदित करेगा तथा अपनी रिपोर्ट में ऐसी नीति की अन्तर्वस्तुएँ, सीएसआर समिति की संरचना, एवं बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं को प्रकट करेगा, तथा उन्हें कंपनी की वेबसाइट पर भी रखेगा।

लेखापरीक्षा ने सीएसआर से सम्बन्धित सूचना के प्रकटीकरण में निम्नलिखित कमियाँ पायीं:

- नौ एसपीएसई में से, एक एसपीएसई अर्थात् जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के पास कोई वेबसाइट नहीं थी। मात्र एक एसपीएसई अर्थात् उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपनी सीएसआर नीति, अपनी सीएसआर समिति की संरचना, तथा बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं को अपनी वेबसाइट पर प्रकट किया था। एक एसपीएसई अर्थात् उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, जिसने सीएसआर नीति विरचित नहीं की थी, ने सीएसआर समिति की संरचना या बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं को अपनी वेबसाइट पर प्रकट नहीं किया था।
- शेष छः एसपीएसई में से, पाँच एसपीएसई[18] ने अपनी वेबसाइटों पर मात्र सीएसआर नीति प्रकट की थी। एक एसपीएसई अर्थात् उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड ने अपनी वेबसाइट पर अपनी सीएसआर समिति की संरचना तथा बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं को प्रकट किया था, किंतु सीएसआर नीति प्रकट नहीं की थी।
- नौ एसपीएसई में से, मात्र पाँच एसपीएसई[19] ने अपने नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के सम्बन्धित वर्षों हेतु अपनी वार्षिक प्रतिवेदनों को अंतिम रूप दिया था। इनमें से, तीन एसपीएसई ने अपनी वार्षिक प्रतिवेदनों में सीएसआर कार्यकलापों से सम्बन्धित आवश्यक सूचना प्रकट की थी। तथापि, शेष दो एसपीएसई[20] ने अपनी वार्षिक प्रतिवेदनों में सीएसआर कार्यकलापों के सम्बन्ध में पूर्ण प्रकटीकरण प्रदान नहीं किया था।

---

[18] उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यू.पी. प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तथा उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

[19] उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यू.पी. प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तथा जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड।

[20] उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड।

निष्कर्ष

यद्यपि कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सीएसआर हेतु सांविधिक ढाँचा सुस्थापित है, फिर भी उत्तर प्रदेश में एसपीएसई द्वारा इसका कार्यान्वयन असंगत रहा तथा प्रायः अनिवार्य आवश्यकताओं से कम रहा। जहाँ अधिकांश एसपीएसई ने सीएसआर समितियों के गठन तथा सीएसआर नीतियों के विरचन के अपने मूलभूत दायित्व को पूरा किया, वहीं सीएसआर नियमन के कई अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं में चूक देखी गई। चारों एसपीएसई, जिन्हें वार्षिक कार्य योजना विरचित करना आवश्यक था, में से किसी ने भी ऐसा नहीं किया।

नौ एसपीएसई, जिन्हें सीएसआर व्यय करना आवश्यक था, में से छः एसपीएसई ने अनिवार्य धनराशि आवंटित या व्यय नहीं की। सीएसआर समिति की बैठकें अनियमित या असामयिक थीं, तथा सीएसआर से सम्बन्धित सूचना का प्रकटीकरण अपर्याप्त रहा, जिससे पारदर्शिता तथा जवाबदेही क्षीण हुई।

संस्तुतियाँ

- *सीएसआर पहलों के सुव्यवस्थित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु एसपीएसई वार्षिक कार्य योजनाएँ तैयार कर सकते हैं।*
- *एसपीएसई अनिवार्य सीमाओं के अनुसार सीएसआर निधियों का समय पर आवंटन तथा पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित कर सकते हैं। गैर-उपयोग की कड़ी अनुश्रवण की जा सकती है, तथा अव्ययित धनराशियों को विधिक प्रावधानों के अनुसार निपटाया जा सकता है।*
- *परियोजनाओं के कार्यान्वयन को ट्रैक करने, निधि उपयोग को अनुश्रवण करने, तथा सीएसआर कार्यकलापों की प्रगति की समीक्षा करने हेतु नियमित सीएसआर समिति बैठकें आयोजित की जा सकती हैं।*
- *एसपीएसई अपनी वेबसाइटों तथा वार्षिक प्रतिवेदनों में सीएसआर नीतियाँ, सीएसआर समिति की संरचना, तथा परियोजना विवरण प्रकाशित कर सकते हैं।*